

### भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि—

(क) मैंने 37 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे (ख)(i) या (ख) (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो संज्ञिकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i).कैमरा (CAMERA) (ii).फ़िल्फ़ाइप (ENVELOP) (iii).टेलीफ़ोन (TELEPHONE) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं।

\*मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... \*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो ..... राज्य के उस राज्य में के ..... ..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ..... \*\*\*जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे किमी राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*\*नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

श्रीश कुमार जैन

तारीख 11-11-2013,

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

\*\*लागू न होने वाले शब्द, काट दीजिये।

कृपया ध्यान दें:—“मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है।